कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हिन्दी पखवाड़े (14–28 सितंबर 2018) के दौरान दिनांक 28.09.2018 (शुक्रवार) को सांय 5.00 बजे से तीस हजारी न्यायालय परिसर में स्थित सभागार में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस काव्य गोष्ठी में सुप्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। आप सभी इस समारोह में सादर आमंत्रित हैं।

इस आयोजन में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करने के इच्छुक न्यायिक अधिकारीगणों से अनुरोध है कि आप अपनी स्वेच्छा केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, कक्ष संख्या 237, तीस हजारी न्यायालय परिसर दिल्ली को यथाशीघ्र भेजें।

वीरेन्द्र गोयल

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति/
काव्य गोष्ठी आयोजन देखरेख समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 60470-6120 /हिंदी/237–238/2018 दिल्ली, दिनांक 18/09/2018

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली/नई दिल्ली।
3. समस्त माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दिल्ली।
4. माननीय सदस्य सचिव, केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. माननीय सचिव/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, दिल्ली।
6. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा व दिल्ली न्यायिक सेवा के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जो वर्तमान मे प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य कार्यालयों/विभागों मे तैनात हैं।
7. समस्त माननीय प्रभारी न्यायाधीश, पूल कार अनुभाग, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
8. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. समस्त न्यायिक जिलों में स्थापित राजभाषा हिंदी अनुभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख (इस निर्देश सहित की आप समारोह में उपस्थित रहें और सुनिश्चित करें कि आपके न्यायिक जिले मे समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को इस आयोजन की सूचना हो)। Divonka
11. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व देखरेख अधिकारी, केयर टेकिंग अनुभाग, केन्द्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. सूधना पट्ट आवासीय परिसर, कड़कड़डूमा व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
13. सूधना पट्ट, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका व साकेत न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
14. निजी कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
15. वेबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

☞ कृपया ध्यान दें :– इस समारोह में सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण सादर आमंत्रित हैं। अतः उपरोक्त समस्त न्यायिक अधिकारियों/अन्य अधिकारीगणों/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र के विषय में अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को अवश्य सूचित करें। सभी न्यायालय परिसरों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक)/ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्राप्ति एवं निर्गम शाखा को निदेश दिया जाता है कि वह परिपत्र उपरोक्त सभी अधिकारियों तक पहुँचाकर उसकी प्राप्ति यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भिजवाएँ।

समस्त कर्मचारियों को अवगत किया जाए।
उसेट
19/9/18

वीरेन्द्र गोयल

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
काव्य गोष्ठी आयोजन देखरेख समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, द्वारका

संख्या: 22030-121 /हिंदी अनुभाग/द्वारका/2018 दिनांक : 20-9-18

Seen
O.I.C Computer

माननीय नोडल अधिकारी (हिंदी अनुभाग), के आदेशानुसार परिपत्र कि प्रतिलिपि सभी सम्बंधित अधिकारियों को सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए अग्रसारित की जा रही है :-

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी (द. प.), इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से सभी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को, जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
2. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाखा प्रभारी, इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से, सभी सम्बंधित कर्मचारियों को, जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
3. सचिवालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द.प.)।

20/09/2018
शाखा प्रभारी, (हिंदी अनुभाग)

Scanned by CamScanner